

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 27/2022

सत्यवान सिंह शेखावत, एडवोकेट, 59 पृथ्वी नगर, नया खेडा अम्बाबाडी, जयपुर, राजस्थान, पिन कोड
302039

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 14.02.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.01.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 27/2022 पर दिनांक 21.01.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/202-203 दिनांक 21.01.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ ने पत्रांक आरटीआई/2022/361 दिनांक 10.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2021 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2022/08-09 दिनांक 04.01.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाएं आवेदक को समय पर एवं सही रूप से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) सूरजगढ द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2022/361 दिनांक 10.02.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2021 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसकी सूचना आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2022/08-09 दिनांक 04.01.2022 द्वारा आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाएं आवेदक को समय पर एवं सही रूप से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू